न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी → श्री दिवांशु शर्मा (RAS)

प्र. सं. 129/2020

दावा

दरम्यान

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र देवीलाल
2. चौथमल पुत्र देवीलाल
3. गिरधारीलाल पुत्र देवीलाल

] जातियान मेहर निवासीगण कोयला तह. बारां (राज.)

— वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA

उपस्थित → 1. श्री ओमप्रकाश मेहता ए.ड.
2. पेशकार सरकार

निर्णय दिनांक 3/2/2021

वादीगण की ओर से जरिये आग्रह-नामा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोयला की आराजी ख.नं. 3840/276 रकबा 0.54 हे., 3841/2315 रकबा 0.57 हे. कुल किता 2 रकबा 1.11 हे. को वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण के पिता का नाम देवीलाल है जो राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से देवीलाल के स्थान पर देवलाल दर्ज कर दिया। वादीगण के सभी दस्तावेजात में पिता का नाम देवीलाल है व ग्राम कोयला की आराजी ख.नं. 3672/276 रकबा 0.55 हे., 3681/2315 रकबा 0.57 हे. किता 2 रकबा 1.12 हे. में वादी क्रम 2 के पिता का नाम देवीलाल सही दर्ज है जबकि विवादित [illegible] कर्मचारियों द्वारा सहवन से देवीलाल [illegible] देवलाल दर्ज कर दिया [illegible] है [illegible] वादीगण। दुरुस्ती [illegible] के अधिकारी [illegible] अतः वादीगण का वाद [illegible] किया जा[illegible] विवादित आराजीयात पर वादीगण के पिता का नाम देवलाल के स्थान पर देवीलाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

— — P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(2)

वाद पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। पेशकार सरकार की ओर से जवाब दावा पेश कर इस आशय की रिपोर्ट के साथ पेश किया कि वादीगण की अपनी प्रार्थना अनुसार नाम दुरुस्त करवाने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही पेशकार सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 1409 दि. 16/3/20 से प्रस्तुत आवेदन वादी मय रिपोर्ट पटवारी एवं नामिनेशन मय दस्तावेजात को वाद के साथ संलग्न करने का कथन किया जो संलग्न पत्रावली किये गये।

साक्ष्य वादी में वकील वादीगण ने PW1 रामेश्वर, PW2 चौथमल के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 478, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 250, प्रदर्श-3 नोटिस 80 CPC, प्रदर्श 4 आधार कार्ड वादी रामेश्वर, प्रदर्श 5 आधार कार्ड वादी चौथमल, प्रदर्श-6 तहसीलदार बारां का पत्र क्रमांक 1409 दि. 16/3/20, प्रदर्श-7 पटवारी रिपोर्ट दि. 3/3/20, प्रदर्श 8 नाम दुरुस्त करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17/12/19, प्रदर्श-9 वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20/12/19 तथा प्रदर्श 10 आधार कार्ड वादी गिरधारीलाल प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाये।

हमने एकपक्षीय बहस वकील वादीगण की सुनी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व कर्मियों के सहवन से वादीगण [illegible] को देवीलाल के स्थान पर [illegible] दर्ज कर दिया जबकि [illegible] तथा EX4, [illegible] वादीगण के आधार कार्ड है जिनमें भी वादीगण के पिता का नाम देवीलाल ही दर्ज है तथा EX6 व EX7 में पटवारी हल्का कोयला व तहसीलदार बारां ने प्रार्थीगण के पिता का नाम देवलाल के स्थान पर देवीलाल करना उचित बताया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्षीय बहस वकील वादीगण पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मुताबिक प्रदर्श दस्तावेजात वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम केमला की आराजी खसरा नं. 3840/276 रकबा 0.54 है., खसरा नं. 3841/2815 रकबा 0.57 है. में वादीगण के पिता का नाम देवलाल के स्थान पर देवीलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/2/2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner